## ऊर्जा विभाग

# अध्याय–1
# योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

## (अ) छत्तीसगढ राज्य विद्युत मण्डल/ छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

### (1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (योजना कमांक –6825):–

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र शासन/राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 18.03.2005 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। केन्द्र शासन की इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अंतर्गत सभी आवासों तक विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना है। इस वृहद योजना हेतु केन्द्र शासन ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में अथवा राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।

राज्य में अभी तक 13 जिलों यथा जांजगीर–चांपा, दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी, कांकेर, महासमुन्द, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा एवं बस्तर की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है। इनमें से ग्यारह जिलों यथा जांजगीर–चांपा, दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, कांकेर, राजनांदगांव, कोरबा बिलासपुर एवं रायगढ़ में योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्य किये जा रहे है तथा दो जिलों यथा सरगुजा एवं दंतेवाड़ा के लिए कार्यादेश प्रक्रियाधीन है। शेष तीन जिलों यथा जशपुर, कोरिया एवं बस्तर की योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में स्वीकृति हेतु लंबित हैं।

वर्ष 2008–09 में योजना के अंतर्गत रू. 2600 (राज्य शासन का 10 प्रतिशत अंश) लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध रू. 1161.20 लाख व्यय किये गये।

### (2) अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाईन का विस्तार (योजना क्र. 5084)

इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनके कुंओं तक विद्युत लाईन के विस्तार हेतु केन्द्र शासन से अनुदान दिया जाता है। इस योजना अंतर्गत राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त होती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2008–09 में रू0 175.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध रू0 175.00 लाख राज्य शासन से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को अनुदान प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के 407 कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाईन का विस्तार किया गया है।

### (3) मजरा/टोला विद्युतीकरण (योजना क्र. 5230) :–

इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, इन बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। इस योजनांतर्गत राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त होती है। वर्ष 2008–09 में इस योजनांतर्गत रू0 166.50 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्ध रू0 166.50 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति के 40 मजरों/टोलों का विद्युतीकरण किया गया।

ऊर्जा विभाग

# अध्याय–1
# योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

## (अ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/ छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

### (4) अनुसूचित जनजाति बस्तियों में एकलबत्ती कनेक्शन (योजना क्र. 6501) :–

इस योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति बस्तियों में एकलबत्ती कनेक्शन प्रदाय किये जाने हेतु, विद्युत लाईन विस्तार के लिये केन्द्र शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2008–09 में रू0 100.00 लाख का प्रावधान दिया गया था, जिसके विरूद्ध रू0 100.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। शासन से प्राप्त राशि में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 03 मजरे/टोले के विद्युतीकरण के साथ ही 6000 बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किया गया।

### (5) अनुसूचित जाति बस्तियों में एकलबत्ती/सड़कबत्ती हेतु विद्युत लाईन का विस्तार (योजना क्र. 5214) :–

इस योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति बस्तियों में एकलबत्ती कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं सड़कबत्ती विस्तार हेतु अनुदान दिया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2008–09 में रू0 750.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू0 750.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। जिसके अंतर्गत 125 मजरों/टोलों में लाईन विस्तार के साथ ही इस वर्ग के 15000 हितग्राहियों को एकलबत्ती (बी.पी.एल) कनेक्शन प्रदान किया गया।

### (6) किसान समृद्धि योजना (योजना क्र. 5709) :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है) जिसके अंतर्गत अल्पवर्षा (वृष्टिछाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उसमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना पांच जिलों यथा राजनांदगांव, दुर्ग कबीरधाम, रायपुर एवं बिलासपुर के 25 विकासखण्डों यथा राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगांव, बेरला, बेमेतरा, साजा, धमधा, नवागढ़, दुर्ग, पण्डरिया, कवर्धा, बोड़ला, लोहारा, तिल्दा, सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल, बिलाईगढ़, मुंगेली, पथरिया, बिल्हा एवं तखतपुर में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राशि रू0 60000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है जिसमें से रू0 50000/– मंडल द्वारा वहन की जाती है। तथा शेष राशि अधिकतम रू0 10000/– राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2008–09 में इस योजनांतर्गत 1674 नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये। इस योजनांतर्गत वर्ष 2008–09 में रू. 0.15 लाख का सांकेतिक बजट प्रावधान किया गया था। इस योजनान्र्गत रू. 125.55 लाख का व्यय पूर्व वर्ष में राज्य शासन से प्राप्त राशि में से किया गया।

ऊर्जा विभाग

# अध्याय–1
# योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/ छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(7) एक लाख कृषि पंपों का ऊर्जीकरण (योजना क्र. 6758) :–

राज्य में सिंचाई सुविधा की वृद्धि हेतु राज्य शासन की नीतियों के अनुसार तीन वर्षों (2005–06 से 2007–08) में 1 लाख कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें से वर्ष 2005–06 में 25000 पंप, वर्ष 2006–07 में 35000 पंप एवं वर्ष 2007–08 में 40000 पंपों का ऊर्जीकरण किया जाना था। उपरोक्त कार्य हेतु प्रतिवर्ष दिये गये लक्ष्यों में से मंडल द्वारा अपने आंतरिक स्त्रोतों से किये जाने वाले 10000 पंपों को घटाकर शेष पंपों के कार्य हेतु राज्य शासन से अनुदान दिये जाने का प्रावधान था। इस तरह वर्ष 2005–06 हेतु 15000 पंप, वर्ष 2006–07 हेतु 25000 पंप एवं वर्ष 2007–08 हेतु 30000 पंपों (कुल 70000 पंपों) का लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करने हेतु राज्य शासन से रू0 280.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 2005–06 में 25000 पंपों के लक्ष्य के विरूद्ध 25645 पंप, वर्ष 2006–07 में 35000 पंपों के विरूद्ध 34417 पंप एवं वर्ष 2007–08 में 40000 पंपों के लक्ष्य के विरूद्ध 32032 पंपों के कार्य पूर्ण किये गये, शेष लगभग 8000 पंपों के कार्य वर्ष 2008–09 में पूर्ण किये गये। वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत रू. 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध रू. 1000 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। राज्य शासन से पूर्व वर्ष में प्राप्त राशि में से शेष राशि को मिलाकर रू. 3825.22 लाख का व्यय किये गये ।

(8) अटल ज्योति योजना (योजना क्र. 6715) :–

अटल ज्योति योजना राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामों के रहवासी क्षेत्रों में सतत् विद्युत प्रदाय हेतु, रहवासी क्षेत्रों के विद्युत प्रदाय को सिंचाई पंपों के विद्युत प्रदाय से अलग करने का कार्य किया जाता है। सिंचाई पंप का भार अलग कर दिये जाने से ग्रामीण परिवारों को शहरी क्षेत्रों जैसे सुविधाएं प्राप्त होंगी और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार के साथ ही विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार आएगा एवं अंततोगत्वा सम्पूर्ण राज्य मे लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की लघु उद्योग इकाईयों को अनवरत बिजली मिलेगी, साथ ही नियत समय में कृषि पंपों को भी उचित व्होल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी।

इस योजना की अनुमानित लागत रू0 618.00 करोड़ है। इस योजनांतर्गत 9367 ग्रामों के लगभग 90000 कृषि पंपों की सप्लाई, रहवासी क्षेत्रों से अलग की जावेगी और कृषि पंपों को पृथक 11 के.व्ही. लाईन से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2008–09 तक 700 ग्रामों के 30000 से अधिक कृषि पंपों के विद्युत प्रदाय को रहवासी क्षेत्र से अलग किया गया। इस योजनांतर्गत अब तक राज्य शासन से रू0 12500.00 लाख मंडल को प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत सांकेतिक प्रावधान किया गया था तथापि शासन से पूर्व वर्ष में प्राप्त राशि में से रू. 5065.00 लाख का व्यय किया गया।

योजना के व्दितीय चरण में 729 ग्रामों के लगभग 29000 कृषि पंपों की सप्लाई रहवासी क्षेत्रों से अलग करने का कार्य ( टर्न की आधार पर 5 पैकेजों मे 2 एजेन्सियों को दिया गया है, इसकी लागत रू. 235 करोड़ है) उपरोक्त पैकेज के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है।

# अध्याय–1
# योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

## (अ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

### (9) त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (योजना क्र. 4841) :–

- विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा हानि कम किये जाने, विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार किये जाने, आदि हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की ''त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम'' (ए.पी.डी.आर.पी.) एक अति महत्वकांक्षी योजना थी।
- इन योजनाओं के अंतर्गत 33 के.व्ही. विद्युत लाईनों का विस्तार कर नये 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना, 11 के.व्ही. लाईनों का विस्तार कर नये वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना, विद्यमान विद्युत लाईनों के तार की क्षमता वृद्धि, षिकायत केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण, विद्युत कनेक्षनों में स्थापित पुराने इलेक्ट्रोमेग्नेटिक मीटरों के स्थान पर नये इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना, ऊर्जा खपत की सही गणना, ऊर्जा हानि का सही आंकलन के लिए 33 एवं 11 के.व्ही. फीडरों पर मीटर की स्थापना आदि कार्यों का प्रावधान था।
- छत्तीसगढ़ राज्य में ''त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 07 योजनाएं कियाशील थीं जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

  (1) रायपुर (संचा./संधा.) वृत्त :
  इस योजना में जिला रायपुर, धमतरी एवं महासमुन्द समाहित हैं।

  (2) बिलासपुर (संचा./संधा.) वृत्त :
  इस योजना में जिला बिलासपुर, चांपा–जांजगीर एवं कोरबा समाहित हैं।

  (3) राजनांदगांव (संचा./संधा.) वृत्त :
  इस योजना में जिला राजनांदगांव एवं कवर्धा समाहित हैं।

  (4) रायपुर (षहर)

  (5) दुर्ग (श्षहर)

  (6) भिलाई (श्षहर)

  (7) जगदलपुर (श्षहर)

- उक्त योजनाओं की समग्र योजना लागत का 25% राषि अनुदान के रूप में तथा 25% राषि लंबी अवधि के ऋण के रूप में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के माध्यम से विद्युत मण्डल को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था तथा शेष 50% राषि की व्यवस्था विद्युत मण्डल द्वारा ऋण अथवा स्वयं की स्त्रोतों से किया जाना था। परन्तु जगदलपुर शहर योजना हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना लागत की 25% अनुदान राषि ही उपलब्ध करायी जानी थी।
- इन योजनाओं का पुनरीक्षित प्रावधान रू. 353.30 करोड़ था तथा इसके विरूद्ध रू. 159.21 करोड़ ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान और ऋण के रूप में प्राप्त हुए थे। *mDr lHkh ;kstuk,¡ o"kZ 2008&09 dk vUr rd cUn dh tk pqdh gSA*

- उक्त योजनाओं के वर्ष 2008–09 के अंत में बंद होने तक प्रावधानित राषि में से रू. 358.11 करोड़ रूपये के कार्य पूर्ण हो चुके थे। किन्तु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिषा–निर्देषाानुसार उसमें से राषि रू. 288.12 करोड़ के कार्यों को ही स्वीकार्य किया गया है। अतः शेष राषि मंडल द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से वहन की गई।
- वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत राज्य षासन के बजट में रू. 0.10 लाख की राषि का सांकेतिक प्रावधान किया गया था, क्योकि तब तक ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के माध्यम से पूर्व वर्षों में प्राप्त राषि का संपूर्ण उपयोग नही हो सका था। वर्ष 2008–09 में योजनांतर्गत किये गए कार्यों में रू. 3486.16 लाख का व्यय किया गया है।

ऊर्जा विभाग

## अध्याय – 1
## योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

(ब) क्रेडाः–

### ØMk

ऊर्जा के अपारंपरिक स्त्रोतों को प्रदेश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रेडा द्वारा निम्नानुसार परियोजनाओं का संचालन किया जाता है–

1- lkyj QkVkokYVkbd dk;Øe& इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर घरेलू प्रकाश संयंत्रा, सौर सड़क बत्ती, सौर सामुदायिक संयंत्राो की स्थापना की जाती है। सौर संयंत्राो में सोलर माड्यूल्स, पावर कंडिशनिंग यूनिट तथा ट्यूबलर बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। माड्यूल से निर्मित डी. सी. करेंट का संग्रहण बैटरियों मे किया जा कर पावर कंडिशनिंग यूनिट के माध्यम से डी.सी. करेंट को ए.सी. करेंट में परिवर्तित कर प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग में लाया जाता है।

2- ?kjsyw ck;kxSl l;a=k& पारम्परिक ईधन (लकड़ी, कोयला व एल.पी.जी. आदि) की बचत हेतु, हितग्राही के पास आवश्यक पशु उपलब्धता के अनुसार 1 से 5 घन मीटर तक के बायोगैस संयंत्राो का निर्माण किया जाता है। अपशिष्ट के रुप में प्राप्त पदार्थ एक उत्तम श्रेणी का खाद होता है जिसका प्रयोग किसानो द्वारा खेतो में किया जाता है।

3- lkj rkih; dk;Øe& इस कार्यक्रम के अंतर्गत सौर कुकर व सौर गर्म जल संयंत्राो की स्थापना की जाती है। सौर कुकर के द्वारा सूर्य के ताप से पौष्टिक भोजन पकाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होता है। प्रदेश में विद्युत गीजर व हीटर के प्रयोग में कमी लाने व इनसे होने वाली विद्युत के अपव्यय को रोकने के लिये सौर गर्म जल संयंत्राो की स्थापना की जाती है।

4- xkeh.k fo|qrhdj.k& इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के दूरस्थ अविद्युतीकृत ग्राम, जिनका पारम्परिक स्त्राोतो के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाना संभंव नही है। एसे ग्रामों का सौर फोटोवोल्टाईक संयंत्राो के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाता है।

5- vuqlfpr tkfr@tutkfr Nk=kokl ,o vkJe dk lkj fo|qrhdj.k& प्रदेश में स्थित अविद्युतीकृत व लो वोल्टेज की समस्या से ग्रसित 1400 अदिवासी आश्रमों व छात्राावासों का सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया जा रहा है।

2200. ck;k&¶;qy& पारम्परिक डीजल में निर्भरता में कमी लाने के उद्देश्य व प्रदेश में बायोफ्यूल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये रतनजोत के पौध रोपण का बहुउद्देशिय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक प्रदेश भर में 40 करोड़ रतनजोत के पौधों का रोपण किया जा चुका है। वर्तमान में रोपित पौधों में 2–3 वर्ष बाद फल आयेंगें तत्पश्चात ही बायो डीजल का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकेगा। बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन आयल व हिन्दुस्तान पेटोलियम से क्रेडा के साथ संयुक्त उपक्रम की स्थापना की गई है।

## अटल ज्योति योजना (योजना क्र. 6715) :–

अटल ज्योति योजना राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामों के रहवासी क्षेत्रों में सतत् विद्युत प्रदाय हेतु, रहवासी क्षेत्रों के विद्युत प्रदाय को सिंचाई पंपों के विद्युत प्रदाय से अलग करने का कार्य किया जाता है। सिंचाई पंप का भार अलग कर दिये जाने से ग्रामीण परिवारों को शहरी क्षेत्रों जैसे सुविधाएं प्राप्त होंगी और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार के साथ ही विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार आएगा एवं अंततोगत्वा सम्पूर्ण राज्य मे लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की लघु उद्योग इकाईयों को अनवरत बिजली मिलेगी, साथ ही नियत समय में कृषि पंपों को भी उचित व्होल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी।

इस योजना की अनुमानित लागत रू0 618.00 करोड़ है। इस योजनांतर्गत 9367 ग्रामों के लगभग 90000 कृषि पंपों की सप्लाई, रहवासी क्षेत्रों से अलग की जावेगी और कृषि पंपों को पृथक 11 के.व्ही. लाईन से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2008–09 तक 700 ग्रामों के 30000 से अधिक कृषि पंपों के विद्युत प्रदाय को रहवासी क्षेत्र से अलग किया गया। इस योजनांतर्गत अब तक राज्य शासन से रू0 12500.00 लाख मंडल को प्राप्त हो चुका है।

योजना के व्दितीय चरण में 729 ग्रामों के लगभग 29000 कृषि पंपों की सप्लाई रहवासी क्षेत्रों से अलग करने का कार्य ( टर्न की आधार पर 5 पैकेजों मे 2 एजेन्सियों को दिया गया है, इसकी लागत रू. 235 करोड़ है) उपरोक्त पैकेज के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है।